न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या:– 13/2019
दायर दिनांक:– 19/12./2019
निर्णय दिनांक:– 26/07/.2021

उनवान

1. पृथ्वीराज पिता मांगू जी जाति खारोल निवासी डागीयो का तालाब मजरा ताणा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थी

बनाम

1 रामलाल पिता मांगू जी जाति खारोल निवासी डागीयो का तालाब मजरा ताणा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
2 केसुलाल पिता मागू जी जाति खारोल निवासी डागीयो का तालाब मजरा ताणा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
3 तहसीलदार भूपालसागर तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः– 1. श्री पवन जायसवाल वकील प्रार्थी
2. श्री देवीलाल जाट वकील अप्रार्थीगण

–ःनिर्णयः–

वकील प्रार्थी की और से एक प्रार्थना–पत्र अंर्तगत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार से हैः–

यह कि ग्राम ताणा पटवार हल्का ताणा तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी मे मुझ प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 एव व दो की संयुक्त सामलाती आराजी स्थित है जिसके खाता सं0– 484 से दर्ज आराजी सं0– 629 रकबा 1.83 हैक्टयर लगानी– 3.66 पैसा कुल किता 1 कुल रकबा 1.83 हैक्टयर स्थित है। जो मुझ प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 एक व दो के संयुक्त मौरूसी मिलकीयत की होकर आने अपने हक हिस्से पर काबीज हो काश्त कर रहे है।

यह कि प्रार्थनापत्र के पैरा नम्बर एक मे वर्णित आराजी में मुझ प्रार्थी का नाम प्रकाशचन्द्र पिता मांगु खारोल दर्ज है। मुझ प्रार्थी का वास्तविक एवं दस्तावेंजी रेकर्ड में नाम पृथ्वीराज पिता मांगीलाल खारोल दर्ज है। हाल रेवेन्यू रेकर्ड में मुझ प्रार्थी के दो नाम जिनमे पृथ्वीराज व प्रकाशचन्द्र दोनों नाम मुझ प्रार्थी के ही है। मेरे सभी अन्य दस्तावेज जिनमें बिजली बिल, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड और विद्यालय का स्थानान्तरण (टी.सी.) प्रमाणपत्र में पृथ्वीराज पिता मांगीलाल खारोल नाम दर्ज है। लेकिन हाल राजस्व रेवेन्यू रेकर्ड मे प्रकाशचन्द्र पिता मांगू खारोल दर्ज है जिसका इन्द्राज दूरूस्त कर प्रकाशचन्द्र के बजाय प[illegible] मांगीलाल खारोल दर्ज किया जाना आवश्यक है। वजह सिबूत हाल जमाबन्दी, बिजली बिल, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड और विद्यालय का स्थानान्तरण (टी.सी.) प्रमाणपत्र व ग्राम पंचायत ताणा द्वारा [illegible] प्रमाण–पत्र की फोटो प्रतियां प्रार्थनापत्र के साथ पेश है।

अतः प्रार्थी नें प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थनापत्र के कालम सं. एक मे वर्णित आराजी में मुझ प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में प्रकाशचन्द्र पिता मांगू खारोल दर्ज है [illegible] इन्द्राज दूरूस्त कर प्रकाशचन्द्र के बजाय पृथ्वीराज पिता मांगीलाल खारोल दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.07.29 10:29:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला–चित्तौडगढ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर, जिला–चित्तौड़गढ़

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गए। बाद सम्मन तामिल अप्रार्थी सं0 एक व दो की तरफ से वकील श्री देवीलाल जाट ने वकालतनामा व जवाब पेश किया। तहसीलदार भूपालसागर का जवाब पेश हुआ जिसमे बताया की उक्त प्रकरण में राज्य हित प्रभावित नहीं होता है, यदि प्रार्थी का नाम प्रकाशचन्द्र पिता मांगू खारोल के बजाय पृथ्वीराज पिता मांगीलाल खारोल दर्ज किया जाये तो तहसीलदार भूपालसागर को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बिजली बिल, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड और विद्यालंय का स्थानान्तरण (टी.सी.) प्रमाणपत्र में प्रार्थी का नाम पृथ्वीराज पिता मांगीलाल खारोल अंकित है। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ताणा के प्रमाण–पत्र के अनुसार प्रार्थी का सही नाम पृथ्वीराज पिता मांगीलाल खारोल ही है। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम प्रकाशचन्द्र पिता मांगू खारोल दर्ज है। वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थी अपना नाम प्रकाशचन्द्र पिता मांगू खारोल के स्थान पर पृथ्वीराज पिता मांगीलाल खारोल नाम इन्द्राज दुरुस्त करवा सकता है। वादग्रस्त आराजियात के सहखातेदार अप्रार्थी संख्या एक व दो ने इकबालिया जवाब पेश कर निवेदन किया कि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दुरुस्त कर प्रकाशचन्द्र पिता मांगू खारोल के स्थान पर पृथ्वीराज पिता मांगीलाल खारोल किया जावे तो अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नहीं है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष्यों, अप्रार्थीगण के इकबालिया जवाब एवं वकील उभयपक्ष की बहस के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंर्तगत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भूपालसागर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम ताणा कि सरहद में स्थित भूमि खाता सं0 484 जिसके आराजी नं. 629 रकबा 1.83 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड में नाम प्रकाशचन्द्र पिता मांगू खारोल के स्थान पर प्रकाशचन्द्र उर्फ पृथ्वीराज पिता मांगू खारोल उर्फ मांगीलाल खारोल दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2021 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.07.29 10:29:14 IST
Reason: SelfAttested